केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/01049 दिनांक 05.11.2018

सेवा में,

श्री राज सिंह, पुत्र – श्री चन्द्रभान,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 25.10.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 31.10.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 01.11.2018 को प्राप्त हुआ, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1	द्वितीय अपीलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । साथ ही उल्लेख किया जाता है कि द्वितीय अपीलों का निपटारा "पहले आओ पहले पाओ" के अधार पर किया जाता है, अर्थात जो अपील पहले प्राप्त हुई है, उसकी उसकी सुनवाई पहले की जाएगी ।
बिंदु सं. 2	वांछित सूचना हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है की धारा 8 अवलोकन करें ।
बिंदु सं. 3	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी उप-पंजीयक (सूचना आयुक्त – वाई.ए.) द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष – 011-26162290 पर की जा सकती है ।

(टी. बी. जे. एस. राजप्पा) 8/11/18
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

प्रतिलिपि:-

1	श्री आर. पी.ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक (IC-YA) केन्द्रीय सूचना आयोग ।	बिंदु सं. 3	उक्त आवेदन दिनांक 02.11.2018 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के द्वारा ऑलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।